झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(कृषि प्रभाग)

अधिसूचना

विषयः- बाजार समितियों में e-platform एवं कृषि उत्पादों के e-trading के विनियमन हेतु प्रस्तावित झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली, 2000 (यथा संशोधित 2017) अधिसूचित किये जाने के संबंध में।

झारखण्ड राज्य में कृषि उपजों के व्यापार को नयी तकनीक के अनुरूप बनाये जाने हेतु राज्य में कृषि उपजों की e-trading के विनियमन हेतु झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली, 2000 (यथा संशोधित, 2013) में संशोधन करते हुए झारखण्ड राज्यपाल ''झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली 2000 (यथा संशोधित 2017)'' निम्नवत अधिसूचित करते हैं :-

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(i) यह नियमावली झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली 2000 (यथा संशोधित 2017) कहलायेगी।

(ii) यह संपूर्ण झारखण्ड राज्य पर लागू होगा।

(iii) यह राज्य सरकार की अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत होगा।

2. झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली-2000 (यथा संशोधित 2013) के नियम-02 के उपबंध (xxxv) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किये जाते हैं :-

(xxxvi) ई-ट्रेडिंग से अभिप्रेत है, उस बाजार से जहां अधिसूचित कृषि उपजों का व्यापार एक इलेक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जायेगा।

(xxxvii) एकल अनुज्ञप्ति (एकीकृत लाईसेंस) से अभिप्रेत है कि लाईसेंसधारी संपूर्ण राज्य के सभी बाजार समितियों के क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज के क्रय एवं विक्रय के लिए अधिकृत होगा।

3. झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली-2000 (यथा संशोधित 2013) के नियम-150 के पश्चात् निम्नलिखित नया नियम अंतःस्थापित किया जाता है।

151. राज्य सरकार/बोर्ड ई-ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करते हुए आवश्यक विनियमन से संबंधित मापदण्ड एवं आधारभूत संरचना समिति स्तर पर स्थापित करेंगे। कोई भी व्यक्ति/अनुज्ञप्तिधारी ई-व्यापार करने के उद्देश्य से एकल अनुज्ञप्ति प्राप्त कर राज्य के ई-ट्रेडिंग हेतु चयनित सभी बाजार समिति क्षेत्रान्तर्गत ई-ट्रेडिंग करेंगे। कृषक बाजार समिति में अपना पंजीयन कराकर अपने उत्पाद को ई-व्यापार के माध्यम से बिक्री करेंगे।

152. अनुज्ञप्तिधारी झारखण्ड राज्य के सभी समिति क्षेत्रान्तर्गत निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के ई-व्यापार (क्रय-विक्रय) के लिए अधिकृत होगा। प्रबंध निदेशक/निदेशक विपणन/प्राधिकृत पदाधिकारी एकीकृत अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अधिकृत होंगे। प्रबंध निदेशक की पूर्व सहमति से लाईसेंस निर्गत पदाधिकारी इस नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लाईसेंस को निलंबित अथवा रद्द कर सकेंगे। ई-ट्रेडिंग हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगीः-

(i) इलेक्ट्रोनिक निविदा की सुविधा सभी चयनित बाजार समिति द्वारा प्रदान किया जायेगा। आवश्यक ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, साफ्टवेयर एवं हॉर्डवेयर का स्थापन किया जायेगा। जैसा कि प्रबंध निदेशक अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी निदेशित करें।

(ii) बाजार समिति ई-ट्रेडिंग (ऑनलाईन) का संपूर्ण नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करेगा।

(iii) कृषकों को यह छूट होगा कि निर्धारित समयावधि में उच्चतम बोली को अपना सकेगा या रद्द कर सकेगा।

(iv) सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम लगायी गई बोली स्वीकार्य नहीं होगी।

(v) क्रेता द्वारा लगायी गई बोली कृषकों को शुद्ध भुगतेय राशि होगी, जिसमें अन्य कोई प्रभार्य सम्मिलित नहीं रहेगा।

(vi) प्रबंध निदेशक ऐसे उत्पादों एवं बाजारों को विनिर्दिष्ट करेंगे, जहां उन उत्पादों की बिक्री कीमत उस मण्डी क्षेत्र में इलेक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म के द्वारा निर्धारित की जायेगी, जैसा कि निदेशक इस निमित्त निदेशित करें।

(vii) उत्पादों के गुणवत्ता का परीक्षण, श्रेणीकरण, प्रमाणीकरण एवं मानकीकरण किया जायेगा।

(viii) उत्पादों की बिक्री के पूर्व एवं पश्चात् इनकी तौलाई की जायेगी।

(ix) बाजार क्षेत्र में वेयर हॉउस में उत्पादों का संग्रह करने एवं ऐसे संग्रहित उत्पादों की बिक्री की जायेगी।

(x) वेयर हॉउस की प्राप्तियों के सापेक्ष्य सांपार्श्विक वित्तपोषण और ऋण की सुविधा दी जायेगी।

(xi) क्रेता द्वारा व्यतिक्रम के मामले में किसान को मुआवजा दिया जायेगा।

(xii) बाजार आसूचना प्रतिवेदन प्राप्त किया जायेगा।

(xiii) कोई अन्य विषय जो प्रबंध निदेशक की राय में उत्पादों की बिक्री को इलेक्ट्रोनिक प्लेटफॉर्म के द्वारा प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक हो अथवा बाजारों में होनेवाले सौदों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

(xiv) ई-ट्रेडिंग के लिए एकीकृत अनुज्ञप्ति हेतु रू0 1000.00 (एक हजार रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जो झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद के नाम से देय होगा, के साथ पर्षद में आवेदन करना होगा। यह अनुज्ञप्ति एक वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होगा, जिसे अगले वित्तीय वर्ष हेतु नवीकृत किया जायेगा। नवीकरण हेतु नवीकरण शुल्क रू0 500.00 (पांच सौ रूपये) का बैंक ड्राफ्ट जो झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद के नाम से देय होगा, के साथ पर्षद में आवेदन करेंगे।

(xv) अनुज्ञप्ति नवीकरण में चूक होने पर प्रतिदिन रू0 100.00 (एक सौ रूपये) की दर से शास्ति के साथ नवीकरण शुल्क देय होगा।

4. मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक-07.02.17 को आहूत बैठक के मद सं0-04 के रूप में उक्त प्रस्ताव स्वीकृत है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ0 नितिन मदन कुलकर्णी)

सरकार के सचिव।

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद,

इटकी रोड, हेहल, राँची- 05

झारखण्ड कृषि उपज बाजार नियमावली– 2000 (यथा संशोधित 2017) के अन्तर्गत ई–ट्रेडिंग हेतु एकीकृत एकल अनुज्ञप्ति/नवीकरण हेतु आवेदन प्रपत्र (चार प्रति में)

(नियम 152 (XIV))

फोटो
स्वअभिप्रमाणित
4 पीस

1. निबंधन संख्या :– ...., बाजार समिति का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (In English) :– ....
3. आवेदक के फर्म का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (In English) :– ....
4. आवेदक के फर्म का प्रकार (हिन्दी में) :– ....
   (In English) :– ....
5. फर्म के कारोबार का प्रकार (हिन्दी में) :– ....
   (In English) :– ....
6. e-Trading के अन्तर्गत व्यापार करने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उपज का नाम/विवरणी :– ....

   ....
7. आवेदक एवं उनके फर्म के व्यापार स्थल का विस्तृत विवरण एवं चौहदी :–

   (a) व्यापार स्थल की चौहदी
   North
   South
   East
   West

   (b) 1. शहर का नाम
   2. मुख्य बाजार प्रांगण का नाम/उपबाजार प्रांगण/बाजार क्षेत्र का नाम
   3. पोस्ट .... थाना ....
   जिला ....
8. आवेदक/फर्म का E-mail Address :– ....
9. आवेदक/फर्म के बैंक के खाता की विवरणी :– ....
10. पूर्व में बाजार समिति से अनुज्ञप्ति प्राप्त किए हो तो अंतिम एक वित्तीय वर्ष में जमा बाजार शुल्क की विवरणी :–

    ....
11. आवेदक के आधार नम्बर की विवरणी (सत्यापित प्रति) :– [ ]
12. आवेदक फर्म के PAN नम्बर की विवरणी :– [ ]
13. आवेदक के VAT/TIN नम्बर (अगर हो तो) :– [ ]

14. आवेदक के फर्म के भागीदार/साझीदार का पूर्ण विवरण एवं साझीदार के एकरारनामा की सत्यापित प्रति :– ....

....

15. आवेदक/फर्म का माप–तौल विभाग की अनुज्ञप्ति की सत्यापित प्रति (मापतौल अनु0 नम्बर) :–

16. Guaranter - वैसे व्यापारी हो जो e-Trading के अनुज्ञप्तिधारी हो या पूर्व का बाजार समिति का अनुज्ञप्तिधारी हो जो प्रतिवर्ष कम से कम 10000/– रु0 का रिटर्न जमा किया हो :– ....

मैं ...., पिता– .... आवेदक को जनता हूं एवं इनके द्वारा दी गयी सूचनाएं मेरे अनुसार सत्य है। Guaranter के फर्म का नाम :– ....

दिनांक :– ....

हस्ताक्षर

17. शपथ पथ :–

(a) e-Trading का अनुज्ञप्ति प्राप्ति के बाद आवेदक/फर्म e-Platform के माध्यम से व्यापार करेगा।

(b) आवेदन प्रपत्र में आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज सही है।

(c) अगर आवेदक e-Platform के माध्यम से संव्यवहार नहीं करेगा तो उसका e-Trading का अनुज्ञप्ति एवं बाजार प्रांगण में आवंटित दुकान/गोदाम का आवंटन रद्द किया जायेगा।

18. निरीक्षण प्रतिवेदन :–

(a) बाजार पर्यवेक्षक/सक्षम पदाधिकारी आवेदक के व्यापार स्थल एवं पूर्व के कारोबार का विस्तृत प्रतिवेदन देंगे। आवेदक के द्वारा दी गयी सूचना को सत्यापित करेंगे।

(b) पणन सचिव निरीक्षण प्रतिवेदन की जांच कर सही करेंगे।

19. अनुज्ञप्ति शुल्क :– 1000/– (एक हजार) रु0 का/नवीकरण शुल्क :– 500/– (पांच सौ) रु0

(a) बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से

(b) झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची के नाम

(c) ड्रॉफ्ट की विवरणी

20. कृषि उत्पादन बाजार समिति का नाम :– ....

21. आवेदन जमा करने की तिथि :–

हस्ताक्षर/दिनांक

मैं घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन प्रपत्र में दी गयी सारी सूचनाएं सत्य हैं। मैं अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के पश्चात e-Platform के माध्यम से व्यापार करुंगा/करुंगी। अगर मैं e-Platfrom के माध्यम से व्यापार नहीं करता पाया जाऊंगा तो मेरा अनुज्ञप्ति एवं आवंटित दुकान रद्द करने का पूर्ण अधिकार विपणन पर्षद को रहेगा।

दिनांक :–

स्थल :–

आवेदक का हस्ताक्षर

झारखण्ड राज्य कृषि विपणन पर्षद, राँची।

फोटो
स्वअभिप्रमाणित

अनुज्ञप्ति निर्गत करने की तिथि :–

अनुज्ञप्ति संख्या :–

1. निबंधन संख्या :– ...., बाजार समिति का नाम :– ....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (In English) :– ....
3. आवेदक के फर्म का नाम (हिन्दी में) :– ....
   (In English) :– ....
4. आवेदक के फर्म का प्रकार (हिन्दी में) :– ....
   (In English) :– ....
5. फर्म के कारोबार का प्रकार (हिन्दी में) :– ....
   (In English) :– ....
6. e-Trading के अन्तर्गत व्यापार करने वाले विनिर्दिष्ट कृषि उपज का नाम/विवरणी :– ....
   ....
7. आवेदक एवं उनके फर्म के व्यापार स्थल का विस्तृत विवरण एवं चौहदी :–

(a) व्यापार स्थल की चौहदी

North (उ0)

South (द0)

East (पू0)

West (प0)

(b) 1. शहर का नाम

2. मुख्य बाजार प्रांगण का नाम/उपबाजार प्रांगण/बाजार क्षेत्र का नाम

3. पोस्ट .... थाना ....

जिला ....

8. आवेदक/फर्म का E-mail Address :– ....
9. आवेदक/फर्म के बैंक के खाता की विवरणी :– ....

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

शर्तें :– 1. अनुज्ञप्ति रद्द करने/निलंबित करने का अधिकार पर्षद को रहेगा।

2. अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित वाद का निपटारा उच्च न्यायालय, राँची के माध्यम से किया जायेगा।
3. यह अनुज्ञप्ति एक वित्तीय वर्ष अर्थात 31 मार्च .... की समाप्ति तक के लिए वैद्य होगा।
4. यह अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय होगा।
5. अनुज्ञप्तिधारी को ई–ट्रेडिंग के माध्यम से एक वर्ष में न्यूनतम 500000/– (पांच लाख) रु0 का व्यापार करना अनिवार्य है अन्यथा नवीकरण की कार्रवाई नहीं की जायेगी।

अनुज्ञप्ति का नवीकरण

नवीकरण की तारीख	किस अवधि के लिए नवीकरण किया गया	सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2	3